क्रमांक-9

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2012 (फाल्गुन 12, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्षीय व्यवस्था

भोपाल के कमला नगर पुलिस थाने में हुई घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग विषयक

प्रश्नकाल के दौरान, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा अध्यक्ष महोदय से भोपाल के कमला नगर पुलिस थाने में हुई घटना के संबंध में दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा कराने की मांग की गई। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रश्नकाल के महत्व एवं सदन की परम्परानुसार, इस मामले को प्रश्नकाल के पश्चात् उठाने हेतु आग्रह किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों से अनुरोध किया गया कि अभी प्रश्नकाल चलने दे, प्रदेश की गरीब जनता का पैसा खर्च होता है। प्रश्नकाल के बाद इस संबंध में कल दिए गए आश्वासन के संदर्भ में, आसंदी से व्यवस्था दी जाएगी। किन्तु आसंदी के बार-बार आग्रह करने के बाद भी कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा प्रश्नकाल को बाधित करने के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित की गई।

(पूर्वाह्न 10.44 बजे कार्यवाही स्थगित की जाकर 11.16 बजे पुन: समवेत हुई)

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम पुकारा गया, किन्तु सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 76 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 87 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की लगातार मांग की जाती रही। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री द्वारा पूर्वोदाहरण दिए गए कि पूर्व में भी कई मामलों में घटना दिनांक के एक माह बाद सदन में चर्चा हुई है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा "संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार" (कौल एवं शकधर) का उद्धरण दिया गया कि – "स्थगन प्रस्ताव पर ऐसे किसी विषय को नहीं उठाया जाना चाहिए जिनकी अनुदान मांगों पर भी चर्चा कर सकते हैं।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल चलने देने हेतु कांग्रेस पक्ष के सदस्यों से पुन: अनुरोध किया गया। किन्तु सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि "मेरे बारबार कहने के बाद भी प्रश्नकाल चलने के लिए परिस्थितियां अनुमति नहीं दे रही हैं, अत: सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।"

पूर्वाह्न 11.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2012 (फाल्गुन 23, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 2 मार्च, 2012